दूसरी अनुसूची

[धारा 78(1) देखिए]

क्रम सं0	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 का उपबंध, जिसे संशोधित किया जाना है	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियम 3 के उपनियम (6) के खंड (ख) का स्पष्टीकरण ।	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (6) के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :— "**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय और 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् संदत्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के मुजरे का, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए उपयोग किया जा सकेगा ;"।	1 मार्च, 2003

website: http://indiabudget.nic.in